बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांकः–10 / व 1–38 / 2014...... पटना, दिनांक......................2014

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार।

विषय : **राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसों अर्थात कुल 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के वेतनादि भुगतान हेतु कुल ₹3,50,00,00,000 / – (तीन अरब पचास करोड़) रूपये मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल प्रथम चार माह के वेतनादि भुगतान हेतु ₹1,16,65,50,000 / – (एक अरब सोलह करोड़ पैसठ लाख पचास हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश : **स्वीकृत।**

महाशय,

राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसों अर्थात कुल 1128 मदरसों में मानक मंडल के अन्तर्गत विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या–285 दिनांक–12.04.1999 द्वारा पंचम् पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एवं महंगाई भत्ता, विभागीय संकल्प संख्या–442, दिनांक–14.07.2003 द्वारा वेतन एवं वेतन का 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं विभागीय संकल्प में 774 दिनांक–08.07.2008 के आलोक में वेतन एवं वेतन का 300 प्रतिशत महंगाई भत्ता सहायक अनुदान भुगतान हेतु स्वीकृत है। विभागीय संकल्प संख्या–970 दिनांक–31.08.2013 द्वारा उपरोक्त 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 01.04.2013 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन (वेतन + ग्रेड पे तथा अद्यतन महंगाई भत्ता) भुगतान किया जाना है। वेतन एवं महंगाई भत्ता के अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई भत्ता / वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं है। पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण होने तक पूर्ववत वेतन का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के वेतनादि भुगतान हेतु ₹3,50,00,00,000 / – (तीन अरब पचास करोड़) रूपये मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति से तत्काल चार माह के वेतनादि भुगतान हेतु ₹1,16,65,50,000 / – (एक अरब सोलह करोड़ पैसठ लाख पचास हजार) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति विवरणी के अनुसार (विवरणी संलग्न) प्रदान की जाती है।

3. यह राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्यय मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–05–भाषा विकास, लघु शीर्ष–200–अन्य भाषाओं की शिक्षा, उप शीर्ष–0002–गैर सरकारी मदरसा, विपत्र कोड N 220205200002 अन्तर्गत विषय शीर्ष–31 04–सहायक अनुदान वेतन से विकलनीय होगा।

4. संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) द्वारा अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को उनके बैंक खातों में वेतनादि का भुगतान निम्नांकित बिन्दुओं के अनुपालन की शर्तो पर करेंगे :–

(क) जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा विधिवत संचालित मदरसों में नियमित रूप से नियुक्त कर्मी का वेतन भुगतान किया गया है।

(ख) स्वीकृत राशि के वितरण की सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) की होगी। स्वीकृत राशि से वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम चार माह का वेतनादि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–774 दिनांक–08.07.2008 के अनुरूप महंगाई भत्ता के साथ पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण होने तक पूर्ववत किया जायगा।

(ग) जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) स्वीकृत राशि का लेखा–जोखा बिलकुल अलग रखेंगे।

5. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत राशि का जिलावार आवंटनादेश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्गत किया जायगा। उक्त आवंटनादेश के अनुसार राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा बी0 टी0 सी0 42 विपत्र पर किया जायगा और प्रत्येक मदरसा को जो राशि दी जानी है उनसे पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर विपत्र के साथ संलग्न कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायगा। राशि की निकासी में स्वीकृत्यादेश की कंडिका–4 में वर्णित शर्त्तो का पालन सुनिश्चित किया जायगा। संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सभी औपचारिकताएं पूरी कर जिला में अवस्थित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों में मानक मंडल के अन्तर्गत स्वीकृत पद पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान राशि सीधे कोषागार से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित मदरसों को भुगतान करेंगे।

6. भुगतान से पहले पूर्व अवधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र फार्म–42 ए0 पुनरीक्षित में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा और संबंधित मदरसा से अंकेक्षित लेखा विवरणी प्राप्त कर यथा संभव महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार को विभाग के माध्यम से भेजा जायेगा।

7. भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एंव वित्त (अंकेक्षक एवं लेखा) को यह अधिकार होगा कि स्वीकृत राशि के लेखा–जोखा का अंकेक्षण करेंगे।

8. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या–10/व 1–38/2014 के पृष्ठ–12/टि0 पर दिनांक 01.07.2014 को प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–10/व 1–38/2014 के पृष्ठ–15/टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/व 1–38/2014.......... पटना, दिनांक..............................2014

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, नवादा, औरंगाबाद, गया, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, भागलपुर, बाँका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, बेगुसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, समस्तीपुर एवं शिवहर/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/व 1–38/2014—18 पटना, दिनांक 08/07/ 2014

प्रतिलिपि :– विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अवकाश रक्षित पदाधिकारी, मा0 शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/वित्त विभाग (बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा)/अवर सचिव–सह–आय व्यय पदाधिकारी, मा0 शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–05/लेखापाल, शिक्षा विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्यय मांग संख्या–21 मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा,–उप मुख्य शीर्ष–05 भाषा विकास, लघु शीर्ष– 200 अन्य भाषाओं की शिक्षा, उप शीर्ष 0002 गैर सरकारी मदरसा, विपत्र कोड एन 2202052000002 अन्तर्गत विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत राज्य के 1119 अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं 9 बालिका मदरसों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को वर्ष 2014–15 के माह मार्च, 2014 से जून, 2014 तक वेतनादि भुगतान हेतु विमुक्त की जाने वाली राशि की जिलावार विवरणीः–

क्रमांक	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत कुल राशि	तत्काल माह मार्च, 2014 से जून, 2014 तक स्वीकृत की जाने वाली राशि
1	पटना	1,32,00,000.00	44,00,000.00
2	नालंदा	4,37,50,000.00	1,45,75,000.00
3	नवादा	90,00,000.00	30,00,000.00
4	औरंगाबाद	2,54,00,000.00	84,65,000.00
5	गया	65,00,000.00	21,65,000.00
6	रोहतास	2,95,00,000.00	98,33,000.00
7	भोजपुर	1,40,00,000.00	46,65,000.00
8	बक्सर	32,00,000.00	10,66,000.00
9	वैशाली	1,09,00,000.00	36,30,000.00
10	मुजफ्फरपुर	5,68,00,000.00	1,90,00,000.00
11	सीतामढ़ी	10,93,00,000.00	3,64,00,000.00
12	शिवहर	2,18,00,000.00	72,66,000.00
13	सारण	1,77,00,000.00	59,00,000.00
14	सिवान	6,56,00,000.00	2,18,60,000.00
15	गोपालगंज	3,50,00,000.00	1,16,65,000.00
16	पूर्वी चम्पारण	8,75,00,000.00	2,91,75,000.00
17	प० चम्पारण	13,12,00,000.00	4,37,35,000.00
18	भागलपुर	9,40,00,000.00	3,13,00,000.00
19	बांका	3,55,00,000.00	1,18,35,000.00
20	मुंगेर	44,00,000.00	14,66,000.00
21	जमुई	40,00,000.00	13,33,000.00
22	शेखपुरा	25,00,000.00	8,33,000.00
23	खगड़िया	2,14,00,000.00	71,34,000.00
24	दरभंगा	17,94,00,000.00	5,98,00,000.00
25	मधुबनी	33,00,00,000.00	11,00,00,000.00
26	बेगूसराय	3,06,00,000.00	1,02,00,000.00
27	सहरसा	3,71,00,000.00	1,23,00,000.00
28	सुपौल	6,08,00,000.00	2,02,50,000.00
29	मधेपुरा	2,00,00,000.00	66,66,000.00
30	पूर्णियाँ	49,00,00,000.00	16,33,33,000.00
31	किशनगंज	61,00,00,000.00	20,33,30,000.00
32	अररिया	30,00,00,000.00	10,00,00,000.00
33	कटिहार	56,00,00,000.00	18,66,60,000.00
34	समस्तीपुर	3,99,50,000.00	1,33,10,000.00
	कुल योग	3,50,00,00,000.00	1,16,65,50,000.00

(रूपये एक अरब सोलह करोड़ पैसठ लाख पचास हजार मात्र)

6/8/14

संयुक्त सचिव,

शिक्षा (शिक्षा) विभाग, पटना।